न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :—439/2023—24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

1. सन्दिर उराँव वो 2. फगुवा उराँव..........................आवेदक/विक्रेता

बनाम

अंजु लकड़ा..विपक्षी/क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
04.12.2023		

आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती 1. सन्दिर उराँव पिता/पति स्व0 सोमरा उराँव वो 2. श्री/श्रीमती फगुवा उराँव पिता स्व0 कान्डे उराँव ग्राम—कालामाटी, थाना—खूँटी, जिला—खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कालामाटी	216	63	983	0.20

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती 1. सन्दिर उराँव पिता/पति स्व0 सोमरा उराँव वो 2. श्री/श्रीमती फगुवा उराँव पिता स्व0 कान्डे उराँव ग्राम—कालामाटी, थाना—खूँटी, जिला—खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती अंजु लकड़ा पिता/पति रोहराई लकड़ा ग्राम—कालामाटी, थाना—खूँटी, जिला—खूँटी को बिक्री करना चाहते/चाहती है।

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 071068612 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 898 दिनांक 01.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है, खतियानी रैयत का नाम वड़ा वीरसा उराँव है। आवेदक पंजी II रैयत में से एक कान्डे उराँव के पुत्र एवं सोमरा उराँव के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 49 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य

हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 593 दिनांक 15.09.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2022/457958 दिनांक 10.01.2023 वो आवासीय प्रमाण पत्र सं0 JHLRCO/2022/652592 दिनांक 24.01.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 898 दिनांक 01.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती 1. सन्दिर उराँव पिता/पति स्व0 सोमरा उराँव वो 2. श्री/श्रीमती फगुवा उराँव पिता स्व0 कान्डे उराँव ग्राम–कालामाटी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती अंजु लकड़ा पिता/पति सोहराई लकड़ा ग्राम–कालामाटी, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी के साथ ग्राम कालामाटी के खाता सं0 63 खेसरा संख्या 983 कुल रकवा 0.20 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2023.12.07 11:24:18 +05:30
Location: 192.168.1.102